(149)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2591/पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 12-04-2013 पारित द्वारा अपर तहसीलदार, तहसील नागदा, जिला उज्जैन प्रकरण क्रमांक 36/अ-12/2012-13.

मांगू पिता दीपा बंजारा
निवासी ग्राम आक्या नजीर तहसील नागदा
जिला उज्जैन .....आवेदक

विरूद्ध

नग्गा पिता दीपा जी जाति बंजारा,
निवासी आक्या नजीर तहसील नागदा,
जिला उज्जैन, म.प्र. .....अनावेदक

श्री अखलाक कुरैशी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आलोक शास्त्री, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार, तहसील नागदा, जिला उज्जैन द्वारा पारित दिनांक 12-04-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम आक्या नजीर तहसील नागदा, जिला उज्जैन स्थित उसके भूमि स्वामी स्वत्व की सर्वे क्रमांक 112 रकबा 1.04 एवं सर्वे क्रमांक 121/1 रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र अपर तहसीलदार टप्पा उन्हेल तहसील नागदा जिला उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अपर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 36/अ-12/2012-13 दर्ज कर दिनांक 12.04.2013 को सीमांकन किये जाने के निर्देश राजस्व निरीक्षक को दिये गये। अपर तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के विपरीत सीमांकन किये जाने के आदेश देने में त्रुटि की गई है। यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 129 के अंतर्गत पड़ोसी कृषकों को सूचना दिया जाना आवश्यक है, किन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक को बिना सूचना दिये सीमांकन करने में त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थाई सीमा चिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया और न ही फील्डबुक बनाई गई है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया जाकर क्रय दिनांक से ही उक्त भूमि पर काबिज है, परंतु अनावेदक ने राजस्व निरीक्षक व पटवारी से मिलकर अवैध सीमांकन कराया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि अनावेदक ने सीमांकन के तुरंत बाद कब्जा वापसी का प्रकरण तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक अवैधानिक तरीके से किये गये सीमांकन के आधार पर आवेदक की भूमि हड़पने के प्रयास में है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वार संहिता की धारा 129 में सीमांकन हेतु बनाये गये नियमों का बिना पालन किये सीमांकन किया गया है, जो कि अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से लिखित तर्क में निम्निलखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पड़ोस कृषकों को सूचना दी जाकर पंचों के समक्ष सीमांकन किया गया है।

(2) सीमांकन में सर्वे क्रमांक 112 रकबा 1.04 हैक्टेयर में से उत्तरी मेढ़ पर उत्तर पश्चिमी मेढ़ पर 80 कड़ी पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है। इस आधार पर अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

(3) सीमांकन के समय आवेदक उपस्थित था और उसके द्वारा आपत्ति भी पेश की गई है, किन्तु उसके द्वारा पंचनामे पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया एवं कब्जा देने से भी इंकार किया गया । तत्कालीन निरीक्षक के कथन भी दिये गये। दस्तावेज व कथनों से यह प्रमाणित है कि मांगू का अवैध रूप से कब्जा वादग्रस्त भूमि पर था।

(4) राजस्व निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 20.04.2013 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि मांगू पिता बंजारा के द्वारा सीमांकन के पत्थर हटा दिये गये व गाली-गलोंच की गई। मांगू के पुत्र करनसिंह मौके पर उपस्थित रहा किन्तु हस्ताक्षर करने से इंकार किया

गया। सूचना पत्र में भी यह टीप अंकित है कि मांगू पिता दीपा ने हस्ताक्षर करने से मना किया।

(5) आवेदक अपने साक्ष्य से यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसका अवैध आधिपत्य नहीं है। नग्गा ने अपने साक्ष्य व दस्तावेजों से यह प्रमाणित किया है कि उसकी भूमि पर मांगू का अवैध आधिपत्य है। आवेदन ने असत्य आधारों पर निगरानी प्रस्तुत की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक को सीमांकन के सम्बन्ध में सूचना दी गई है, किन्तु उसके द्वारा सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया है । स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक सहित पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर उपस्थित पंचों के समक्ष विधिवत सीमांकन किया गया है, जिसमें अनावेदक की भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है । सीमांकन के समय आवेदक का पुत्र उपस्थित था, इस तथ्य की पुष्टि सीमांकन पंचनामा से होती है । अतः यह नहीं माना जा सकता कि आवेदक को सीमांकन की सूचना नहीं दी गई है एवं सीमांकन की कार्यवाही उसके पीठ पीछे की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधारइस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर तहसीलदार, तहसील नागदा, जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर